पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1997

संख्या पी-20012/29/97-पी.पी.-पेट्रोलियम उद्यानों के मूल्य निर्धारण की वर्तमान प्रणली तेल मूल्य समिति, 1976 की सिफारिशों पर आधारित है क्योंकि भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 के संकल्प संख्या पी-20028/3/77-पी.पी.डी (संड [1]) के अंतर्गत अनुमोदित किया गया और जिनमें भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल लागत समीक्षा समिति, 1984 की सिफारिशों के आधार पर अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 1986 के आदेश संख्या पी-20012/48/84-पी.पी. के तहत संशोधन किया गया। वर्तमान प्रणली के अंतर्गत प्रतिधारण संकल्पना के आधार पर तेल रिफाइनरियों, विपणन कंपनियों और पाइपलाइनों की क्षतिपूर्ति की जाती है और नेटवर्क पर 12% का प्रशासनिक प्रतिलाभ दिया जाता है। स्वदेशी कच्चे तेल का मूल्य भी लागत जमा सूची पर आधारित है, जिसके अंतर्गत सरकारी अन्य उपक्रमों की तेल उत्पादक कंपनियों की प्रतिशत लागत और 15% का प्रशासनिक प्रतिलाभ दिया जाता है।

2. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 जनवरी, 1995 के आदेश संख्या पी-20029/21/94-पी.पी. के अंतर्गत तेल उद्योग के पुनर्गठन के लिए आक्षणक नीतिगत उद्देश्यों और पहलों को पुरा करने हेतु सिफारिशों देने के लिए तेल उद्योग के पुनर्गठन संबंधी कार्यनीतिक योजना दल
(अर गुप्त) का गठन किया था, जिसमें सर्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विभाग
विशेषज्ञ, प्रसिद्ध उर्मिला विशेषज्ञ और सिवालिविद शामिल थे। अर गुप्त ने प्रशासित 
मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को क्रमिक रूप से चरणों में समाप्त करने और मूल्य विवरण
व्यवस्था का आरंभ करने की सिफारिश की थी। सरकार ने 1.9.97 को अर
गुप्त की सिफारिशों के आधार पर वरणबद्ध ढंग से सुधारों की शुरुआत करने के द्वारा 
प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया था।

3. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 25
जून, 1996 के आदेश संख्या पी-2002/21/45-पीपी के अंतर्गत प्रशासित मूल्य-
निर्धारण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाने की स्थिति में शुल्क संरचना के 
विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों पर पहले वाले प्रभाव की जांच करने के लिए 
एक विशेष तकनीकी दल की भी नियुक्ति की थी। विशेष तकनीकी दल ने
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो सरकार के प्रांत विवाराधीन थी। इस रिपोर्ट
में वरणबद्ध ढंग से बाजार निर्धारित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था अपनाने और 
प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाने के संबंध में समान
प्रमुख और उपाधि-शुरुक दरों तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों पर पहले वाले इसके 
प्रभाव का उल्लेख किया गया है।

4. भारत सरकार ने विशेष तकनीकी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 
प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को चरणों में समाप्त करने और अंतिम वर्ष अधिकृत
2001-02 के लिए शुल्क संरचना के क्षुरों के संबंध में निर्धारण कर दिया है। क्षुरों
नीचे दिया गया है:

क. 1998-99 में आरंभ करते हुए अनुबंध। में दिया गए क्रम के अनुसार चरणों में 
पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करना।

ख. स्वदेशी कच्चे तेल उत्पादकों के लिए लागत जमा मूत्र वापिस लिया जाता
है और संक्रमण अंतिके के दौरान कच्चे तेल के वास्तविक आयात के भारित 
औरत सीमाओं प्रत्युत्तरित तब तक मूल्य के पूर्व-प्रमुख बढ़े हुए प्रतिसत का 
भुगतान करते हुए वरणबद्ध ढंग से तेल उत्पादकों को प्राप्त मूल्य 
अंतरराष्ट्रीय स्तरों तक बढ़ाया जाएगा।

ग. सभी (वार्ता और नई) रिकार्डियाएं के लिए प्रतिवर्ष मूल्य निर्धारण की
प्रणाली समाप्त। की जाती है और रिकार्डियाय द्वारा स्तर पर पेट्रोलियम
उत्पादकों का मूल्य निर्धारण आयात समाप्त की और अगस्त होगा, लेकिन 
विश्वसनीय उत्पादकों अर्थात् एम, एमन, एमसो, एमसो, एमसो, एमसो, और 
एमसो के रिकार्डियाय द्वारा मूल्य संक्रमण अंतिके के दौरान विवाह विवाह 
रिकार्डियाएं के लिए "समाप्त" आयात समाप्त पर नियम किए 
जाएगे, रिकार्डियाएं द्वारा अन्य उत्पाद बाजार आधारित मूल्यों पर 
बेरोज़ जाएगे।

घ. मूल्य पेट्रोलियम उत्पादकों के उपभोक्ता मूल्य बाजार मूल्यों की और अगस्त
किए जाएंगे, एमसो का मूल्य भंडारण-स्थल स्तर तक तत्काल प्रभाव से 
आयात समाप्त मूल्य-निर्धारण के सिद्धांत पर नियंत्रित किया जाएगा और अन्य 
मूल्य उत्पादकों अर्थात् एम, एमसो, एमसो, एमसो और एमसो के मूल्य 
वरणबद्ध ढंग से आयात समाप्त के सिद्धांत की और अगस्त किए जाएंगे और


पैराफैन-मोम बिट्रेमैन, नायकुड़, एफ० एंड एलएसएचएस का मूल्य-निर्धारण नियंत्रणयुक्त कर दिया जाएगा।

3. संक्रमण अवधि का उपयोग लगभग 18,200 करोड़ रुपए मूल्य के उन तेल बांडों की सार्विसिंग और परिशोधन के लिए किया जाएगा, जो सरकार द्वारा तेल कंपनियों को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, उपयुक्त कुछ और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य तेल समतः समिति द्वारा बढ़ी हुई स्वायत्त सशक्तियों के साथ नियंत्रित किया जाएगा।

4. संक्रमण अवधि के दौरान कुछ (स्लॉप कुह और कुह कंडेनसेट), एनजीएल, एटीएफ, एमएस और एचएसडी के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों का अध्ययन और नियंत्रण नियंत्रणयुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन संयुक्त और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को वास्तविक प्रयोजन लाईसेंसिंग नीति के अंतर्गत कुछ के गूंडीकरण और अध्ययन की अनुमति दी जाएगी।

5. कुछ और पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्कों को घरणबउठ दंग से तरीके से किया जाएगा।

6. उचित प्रशुल्क संक्रमण और कम से कम 2000 करोड़ रुपए के निवेश सहित रिफाइनरियों के स्वामित्व और प्रबन्धन पर एमएस, एचएसडी और एटीएफ जैसे परिवहन ईंधनों के लिए विविध अधिकारियों को संबंध बनाकर या तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों द्वारा वार्षिक रुप से कम से कम 3 मिलियन टन किसे तेल का उत्पादन करने पर सोधन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

7. कच्चे तेल के प्रेशर के लिए लागत-जमा चुना वापसित लिया जाता है और दर्द बाजार संबंधित दरों की और अब्जर होती है।

8. दुर्वाली क्षेत्रों को अपूर्ति पर भारतीय ग्रामीण बंपर्ट के माध्यम से पूरी की जाएगी और:

9. हाईड्रोकार्बन क्षेत्र के खिलाफ समझौते और प्रतिकृति और प्रतिकृति प्रतिकृति दावों की निगमन करने के लिए एक संयुक्त क्षेत्र की स्थापना।

10. इसने उन्नति संबंधित विषय 1.4.1998 के बाद से लागू होंगे और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संक्रमण की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रभारी, लोकसभा और राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के संबंधित मंत्रियों और विभागों को भेजी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संक्रमण को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव
सुभारों का बरबाद कार्यक्रम

बादल
4 वर्ष

अनुबंध-1

वर्ष-(1998-1999)
(vii) कोस्ट एस पार्वूला समाज कर्ता और कृल्ला उपनामकों को वास्तविक भारत के पौत्र पर्यावरण मार्ग का भारतीय अनुभव का रूप में भूगतान ।

(viii) निम्नलिखित की कोष्ठकों में वृद्धि के कौशलुन (पी. डी. एस.)
एल पी जी (पीतू) ।

(ix) भारत और अन्य छाँद रिलायन्ज़ ।

(०) राज्य विभाग का नीतिवृत्त ।

वर्ष-२ (1999-2000)
(i) पुरापरिवर्तन भारत की अवसर के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों को भूगतान ।

(ii) निम्नलिखित की कोष्ठकों में वृद्धि के कौशलुन (पी. डी. एस.)
एल पी जी (पीतू) ।

(iii) भारत और अन्य जंगल - रिलायन्ज़ ।

(iv) गुलाम का युवाभरण ।

वर्ष-३ (2000-2001)
(i) पोरंगत भारत की भारत की अवसर के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों को भूगतान ।

(ii) लैंग एस ।

(iii) निम्नलिखित की कोष्ठकों में वृद्धि के कौशलुन (पी. डी. एस.)
एल पी जी (पीतू) ।

(०) भारत और अन्य जंगल-रिलायन्ज़ ।

75 प्रियस खत ।
एम एस, एम एस डी, केमेक्सन, ए टी एफ और एल दी जो ।
धर्मवाद रिलायन्ज़ की समस्याओं का यथार्थ समस्या का भारत समस्या तथा जी रिलायन्ज़ को टॉप नामांगित भारत समस्या की ।

नेशनल एंड एस एस, एस एस, खुदवान रिलायन्ज़ डायर ।
| कृल्ला (स्थान कृल्ला और कृल्ला कंडक्सेज) यह जो एल, ए टी एफ, एम एस और एम एस डी को छोड़ कर सभी मेटालियम उत्पादकों आन्दोलन नियामक का डायर जाली ।

कृल्ला की उपनामका का उद्वेदरण और संयुक्त तथा निजी क्षेत्र की रिलायन्ज़ की वास्तविक उपयोगकर्ता लाइंस के अंतर्गत अवसर की अनुभव ।
चरणबाध तरीके से युक्तकरण ।

वर्षानुसार भंडारण आईक का 30 प्रियतम ।
पास की जाने वाली समस्या का 33 प्रियतम ।
33 प्रियतम समस्या का पास किया जाएगा ।
कच्चे तेल के लिए कोल्ट्स पार्वूला को सामना लेना और संयुक्त बाजार दरों की ओर जाना ।

77.5 प्रियतम ।
एक वर्ष के अंत तक संयुक्त भंडारण आईक की 30 प्रियतम ।
33 प्रियतम की और समस्या पास की जाए ।
33 प्रियतम समस्या का पास किया जाएगा ।
जाए रखा जाए ।

80 प्रियतम ।

आपातक्रम और कीमत निर्धारण डी-रिपोर्ट शी ।

वर्ष के आरम्भ में संयुक्त भंडारण आईक की 20 प्रियतम ।
आपातक्रम समझना में 15 प्रियतम समस्या लोग तक पहुँचने के लिए कीमतों से उपयुक्त समाधान ।
बकाया समस्या का समस्या रूप से पास किया जाए ।
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

RESOLUTION

New Delhi, the 21st November, 1997

NO.P-20012/29/97-PP — The existing system of pricing of petroleum products is based on the recommendations of Oil Prices Committee, 1976 as approved by the Government of India, Ministry of Petroleum vide its Resolution No P-20028/3/77-PPD (Vol II) dated December 16, 1977 and as amended by the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide order No P-20012/48/84-PP dated October 23, 1986 based on the recommendations of the Oil Cost Review Committee, 1984. Under the present system, Oil refineries, marketing companies and pipelines are compensated based on the retention concept and are allowed a return of 12% post tax on net worth. The price of indigenous crude oil is also based on cost plus formula wherein the PSU Oil producing companies are allowed operating cost and 15% post tax return on capital employed.

2. The Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide its order No P-20029/21/94-PP dated January 18, 1995 had appointed a Strategic Planning Group on Restructuring of the Oil Industry (‘R’ Group) comprising of eminent experts from the Public Sector & Private Sector, distinguished Energy Experts and academicians to make recommendations to meet the policy objectives and initiatives required for restructuring the oil industry. The ‘R’ Group had recommended the gradual phasing out of APM and introduction of free marketing mechanism. The Government had decided on 1.9.97 to dismantle APM by introducing reforms in a phased manner based on the recommendations of the ‘R’ Group.

3. The Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide its order No P-20029/21/95-PP dated June 25, 1996 had also appointed an Expert Technical Group to examine the impact on various sectors at different levels of duty structure in case of dismantling of APM. The Expert Technical Group has submitted its report which was under examination of the Government. The report has dealt with phased movement to Market Determined Pricing Mechanism and rationalisation of Custom Tariff & Excise duty rates in respect of dismantling of APM along with its impact on various other sectors.
4. The Government of India has now decided the details of phasing of dismantling programme of administered pricing mechanism and the duty structure for the terminal year i.e. 2001-02, after taking into account the recommendations of Expert Technical Group. The details are given below:

a) Dismantling of APM in the petroleum sector in phases as per sequence given in Annexure-I starting from 1998-99.

b) Cost-plus formula is withdrawn for indigenous crude oil producers, the price receivable by oil producers will be increased to international levels in a phased manner by paying a pre-announced increasing percentage of weighted average FOB price of actual imports of crude oil during the transition period.

c) The system of retention pricing is abolished for all (existing and new) refineries, and pricing of petroleum products at the refinery gate level will move towards import parity, however, Refinery Gate prices of controlled products viz MS, HSD, SKO, LPG and ATF will be fixed at “adjusted import parity” prices for the existing refineries during the transition period, all other products will be sold by the refineries at market driven prices.

d) Consumer prices of major petroleum products will be moved to market prices, price of HSD will be fixed on the principle of import parity pricing upto ex-storage point level with immediate effect, and prices of other major products, viz. LPG, ATF, SKO and MS, will be moved towards principle of import parity in a phased manner and pricing of Paraffin-Wax, Bitumen, Naphtha, FO and LSHS will be decontrolled.

e) The transition period will be utilised for servicing and amortising the Oil Bonds worth around Rs.18,200 crores, proposed to be issued by the Government to the Oil companies, the price of crude and petroleum products as mentioned above will be fixed by OCC with enhanced autonomous powers.

f) Imports and exports of all petroleum products, except crude (slop crude and crude condensate), NGL, ATF, MS and HSD will be decanalised during the transition period, however, sourcing and import of crude will be allowed to joint and private sector refineries under actual user licensing policy.

g) Duties on crude and petroleum products will be rationalised in a phased manner.
h) Investments in the refining sector will be encouraged by providing reasonable tariff protection and making marketing rights for transportation fuels viz MS, HSD and ATF conditional on owning and operating refineries with an investment of at least Rs.2000 crores or oil exploration and production companies producing at least three million tonnes of crude oil annually.

i) Cost-plus formula for shipping of crude oil is withdrawn and the rates will move towards market related rates.

j) Freight subsidy on supplies to far-flung areas will be met through the fiscal budget and

k) Establishment of a regulatory framework to oversee the functioning of and enforcing a competitive framework in the Hydrocarbon Sector.

5. The decisions herein contained will come into force with effect from 1.4.1998 onwards and will remain in force until further orders.

NIRMAL SINGH, Jt. Secy.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NIRMAL SINGH, Jt. Secy.
# Phased Programme of Reforms

<table>
<thead>
<tr>
<th>Particulars</th>
<th>Model</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Transition Phase</td>
<td>4 years</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Year 1 (1998-1999)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>i) Removal of cost plus formula and payment to</td>
<td>75 per cent</td>
</tr>
<tr>
<td>crude producers as percentage of weighted</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>average FOB price of actual imports</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ii) Products to be controlled during transition</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>period.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iii) Withdrawal of retention margin concept for</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>the refineries and refinery gate prices</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>for controlled products</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iv) Products to be decontrolled</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>v) Exim Policy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vi) Sourcing of crude</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vii) Customs duties</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>viii) Increase in prices of:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kerosene (PDS)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LPG(Domestic)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ix) Freight and other under – recoveries</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>x) Shipping of crude oil</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ii)     MS, HSD, Kerosene, ATF and LPG</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>adjusted import parity prices to existing</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>refineries and tariff adjusted import parity</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>prices to new refineries.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Naphtha, FO, LSHS, Bitumen. Paraffin wax</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Decanalisaiton of imports/exports of all</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>petroleum products except crude (slop crude and</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>crude condensate), NGL, ATF, MS and HSD</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sourcing of crude to be liberalised and import</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>to be allowed for joint and private sector</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>refineries under actual user licence</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rationalisation done in a phased manner</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30 per cent of existing ex-storage point price</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33 per cent of subsidy passed on.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33 per cent to be passed on. in an equated</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>manner</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Withdrawal of cost plus formula for shipping of</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>crude oil and move towards market related rates.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Particulars</td>
<td>Model</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>i) Payment to crude producers as percentage of weighted average FOB price</td>
<td>77.5 per cent</td>
</tr>
<tr>
<td>ii) Increase in prices of:</td>
<td>30 per cent of revised ex-storage point price at the end of year 1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kerosene (PDS)</td>
<td>A further 33 per cent of subsidy to be passed on</td>
</tr>
<tr>
<td>LPG (Domestic)</td>
<td>A further 33 per cent to be passed on, in an equated manner</td>
</tr>
<tr>
<td>iii) Freight and other under – recoveries</td>
<td>To continue</td>
</tr>
<tr>
<td>iv) Rationalisation of duties</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Year 3  (2000-01)**

| i) Payment to crude producers as percentage of weighted average FOB price  | 80 per cent.                                                         |
| ii) ATF                                                                   | Deregulation of imports and pricing                                   |
| iii) Increase in prices of:                                               | 20 per cent of the revised ex-storage point price at the beginning of |
| Kerosene (PDS)                                                            | the year.                                                            |
| LPG (Domestic)                                                            | Suitable adjustment in prices to reach subsidy level at 15% of import |
|                                                                          | parity.                                                              |
| iv) Freight and other under – recoveries                                  | Balance subsidy to be passed on, in an equated manner                |

**Year 4  (2001-2002)**

| i) Payment to crude producers as percentage of weighted average FOB price  | 82.5%                                                                |
| ii) Increase in prices of:                                                | Suitable adjustment in prices to reach subsidy level at 33.33% of the |
| Kerosene (PDS)                                                            | import parity.                                                       |
| 2002 onwards                                                              | Full Deregulation                                                    |
|                                                                          | Transfer of subsidy on SKO (PDS), LPG(Domestic) and freight subsidy  |
|                                                                          | on supplies to far flung areas to the fiscal budget of the Government. |